आयोजनागत

संख्या [illegible]/III (2)/05-40 (बजट)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2   देहरादून: दिनांक [illegible] दिसम्बर, 2005

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-2006 में लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1319/III-2/05-40(बजट)/2005 दिनांक 25 जून,2005, वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं0 1333(1)/XXVII (1)/2005-20 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 एवं आपके पत्र संख्या-3552/11बजट (भवन आयोजनागत)/2005-06, दिनांक 24.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 लाख (रू0 सत्तर लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृत धनराशि को मासिक सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्व अनुमति के बिना नई योजनाओं पर व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यवार आवंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3 यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्यों पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ 2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों का विवरण मासिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

6 आवासों के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करके उपयोगिता का हस्तगत कर दिये जायेंगे।

7 यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए इसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

8 स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं पूर्व अवमुक्त की गई समस्त धनराशि का 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9— इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-80 सामान्य आयोजनागत 800 अन्य भवन 10 लोक निर्माण (चालू कार्य)-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या-267 / XXVII(2)/05 दिनांक, 28 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या-2555(1)/III(2)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1— महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2— आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3— अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5 — समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6— मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
7— बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय,सचिवालय,देहरादून।
8— वित्त अनुभाग-2/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9— निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून।
10— लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तरांचल शासन।
11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।